27-12-16

27-12

APP-A
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26) 2016/0028443 00283

अज अदालत .... नियम ....

.... पुनमाराम .... बनाम .... देदा

किस्म मुकदमा ...... 212 RTA act ...... नं. ...... 519 .. सन् ...... 2016 ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
1/12/16	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना-पत्र वकील श्री रामसिंह राठौड ने विप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 212 RTA act मे तहत पेश किया। जो दर्ज रजिस्टर्ड हो। रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 27/12/16 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
27/12/16	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थी संख्या-1 को नोटिस जारी किया गया लेकिन विप्रार्थीगण-1 ने लेने से इंकार किया। अतः उक्त के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी के वकील ने आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। प्रार्थी के एकपक्षीय बहस को सुना गया। प्रार्थी वकील ने दोहराने बहस प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ग्राम कुडीवाडा त० पचपदरा जिला बाडमेर में खसरा संख्या 212 रकबा 58 बीघा 15 बिस्वा किस्म बरानी दोयम कुल खसरा 334 कुल रकबा 37 बीघा 11 बिस्वा किस्म बरानी दोयम ख० नं० 316 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के बारी 1/2 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। अप्रार्थी एवं प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई। श्री किशनाराम के निधन के पश्चात फौतदगी म्युटेशन उसके सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Scanned by CamScanner

से पूर्व नाथाराम व रामजी के नाम दर्ज किया गया। इस प्रकार प्रार्थी व विप्रार्थी वादग्रस्त भूमि में बराबर यानि 1/2-1/2 हिस्से पर खातेदारी अधिकार हैं।

प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य मौके पर हिस्सा अलग भी हुई है। परन्तु अब उक्त हिस्सा पाती को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। एवं विप्रार्थी ने जबरन प्रार्थी के हिस्से में पत्थर डालकर मकान की नीव की शुरूआत किया एवं प्रार्थी से झगड़ा फसाद करने पर आमादा हुए। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया।

प्रार्थी सम्पूर्ण भूमि 1/2 हिस्से का खातेदार है एवं उपरोक्त 1/2 हिस्सा प्रार्थी के नाम अलग दर्ज करने की घोषणा करने का अधिकार है। प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि में विप्रार्थी संख्या-1 को 1/2 हिस्सा के खातेदार है। विप्रार्थीगण के विरुद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार है। अतः विप्रार्थी प्रार्थी का हिस्सा 1/2 भाग को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं करें। विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा सुविधा का संतुलन का प्रथम द्रष्टया मामला भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय हित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उभय पक्ष तक मौके की यथा स्थिति कायम रखें। आदेश सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर के दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) [illegible]

Scanned by CamScanner